प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 14 दिसम्बर, 2020**

विषयः- मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2020-21 के आय-व्ययक से अनुदान संख्या-83 में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-177/सम्प्रेक्षा/मु0मं0आ0यो0-ग्रा0/2020-21, दिनांक-27-05-2020 व पत्र संख्या-366/सम्प्रेक्षा/मु0मं0आ0यो0-ग्रा0/2020-21, दिनांक-15-07-2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में अन्य के अतिरिक्त अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित 19802 आवास निर्माण के लक्ष्यों के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रू0 8015.48 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण राजस्व प्राप्तियों एवं वित्तीय संसाधन के स्रोत सीमित हो गये हैं। अतएव आपके उपर्युक्त प्रस्ताव के क्रम में मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अर्न्तगत अनुदान संख्या-83 में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रथम किश्त के रूप में **रू0 2000.00 लाख (रूपये बीस करोड़ मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल, निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-6/2018/216 /38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक-02.02.2018, शासनादेश संख्या-04/2019/80/38-4-19-123(विविध) /2017 दिनांक 04.02.2019 एवं शासनादेश संख्या-17/2019/248/38-4-19-123 (विविध)/2017-टीसी-1, दिनांक 28.06.2019 में विहित प्राविधानों के अधीन योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण में व्यय की जायेगी।

(2) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यतानुसार किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार से व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0 प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) धनराशि का व्यय योजना विषयक गाईडलाइन/दिशा निर्देश तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यो के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 का होगा।

(6) धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 द्वारा संबंधित जनपदों की मांग/आवश्यकता का परीक्षण करते हुए धनराशि आवंटित की जायेगी।

(9) योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि स्टेट नोडल बैंक एकाउन्ट से पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अन्तरित की जायेगी।

(10) लाभार्थियों को अनुदान जारी करते समय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु लाभार्थी को किसी अन्य योजना से अनुदान प्रदान न किया गया हो।

(11) वर्तमान विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रश्नगत योजना अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के भौतिक लक्ष्य/आवास की संख्या को बजट प्राविधान की सीमा तक सीमित रखा जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक एवं जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

(14) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-मुख्य मंत्री आवास योजना(ग्रामीण)-24-वृहद निर्माण कार्य" नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-876/X-2020, दिनाक-08 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुधीन्द्र कुमार
विशेष सचिव ।

संख्या- 09/2020/287(1)/38-4-2020, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0 प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ ।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
11. राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
12. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
13. बजट निदेशक, ग्राम्य विकास अनुभाग-3 उ0 प्र0 शासन।
14. वैभागिक आदेश पुस्तिका।

सुधीन्द्र कुमार
विशेष सचिव ।

http://awasbandhu.up.gov.in